सं0– 468/XXVIII–5–2011–31/2004

प्रेषक,

सुशीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 08 मार्च, 2011

विषय– **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़, जनपद नैनीताल के भवन निर्माण हेतु धनावंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–5प/8/3/2010–11/35400, दिनांक 22.12.2010 तथा शासनादेश सं0–87/चि0–3–2004–31/2004, दिनांक 31.03.2004, एवं शासनादेश सं0–460/XXVIII-4–2006–31/ 2004, दिनांक 17.07.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ़, जनपद नैनीताल हेतु स्वीकृत लागत ₹132.50 लाख के सापेक्ष पुनरीक्षित आगणन की आंकलित लागत ₹158.15 लाख के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि ₹153.34 लाख (रूपया एक करोड़ तिरेपन लाख चौंतीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹132.50 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2010–11 में अवशेष सम्पूर्ण धनराशि ₹20.84 लाख संलग्न बी0एम0–15 में अंकित विवरणानुसार अवमुक्त करते हुये पुनर्विनियोजित करने की स्वीकृति, निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन, सहर्ष प्रदान करते हैं:–

1– अवमुक्त की जा रही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

2– धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित योजना में मूल/पुनरीक्षित स्वीकृति की समयसीमा लागत, लक्षित परिणामों के अनुरूप प्रगति हो रही हो। धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर योजना के सम्बन्ध में सघन मूल्यांकन/परीक्षण किया जायेगा।

3– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय, सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर, किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

6– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

––2/––

8— उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

9— कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववक्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

10— उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–475/XXVIII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11— कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

12— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

13— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2010–11 के अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक –4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–104–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 0302–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 00–आयोजनागत– 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा बी0एम0–15 के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

14 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 136(पी)/XXVII(3)/2010, दिनांक 05.03.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न : यथोक्त

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या–468 (1)/XXVIII–5–2011–31/2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल।
10. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
11. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
13. क्षेत्रीय प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तराखण्ड,देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

(वित्तीय वर्ष 2010–11)

बी0एम0–15

विभाग–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रस्तर –158

अनुदान संख्या–12

पुनर्विनियोजन का आवेदक पत्र (हजार रुपये में)

नियंत्रक अधिकारी : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)		मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में सम्भावित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)		पुनर्विनियोजन के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुन–विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (1–5)	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5		6	7	8
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, आयोजनागत 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय, 03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण 24–वृहद निर्माण कार्य	10000	0	7916	2084(क)	4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत 02ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 104–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना 0302–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहद निर्माण कार्य	2084(ख)	52084	7916	(क)–उक्त मद में वर्तमान में कोई भी कार्य अवशेष न होने के कारण बचतें उपलब्ध हैं (ख)–[illegible] प्राविधान आवश्यकता से कम होने के कारण रू0 2084 लाख का पुनर्विनियोजन आवश्यक है
योग	10000	0	7916	2084		2084	52084	7916	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोजन में बजट मैनुअल के प्रस्तर 15, 151,155,156 में उल्लेखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है

(सुभाषश्री जोशी)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त व्यय अनुभाग
संख्या–[illegible] (P)/वित्त, अनु0–3/2010
देहरादून: दिनांक: 08 दिसम्बर, 2010
पुनर्विनियोजन स्वीकृत
(डॉ0 एम0सी0जोशी)
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी)
देहरादून

संख्या–462 (1)/XXVIII–5–2010–31/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3